संख्या-311/2023/964रासनि/23-1-23/002-44आरएसएन/2023टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 27 अप्रैल, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 10 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2022-23 के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के विभिन्न जनपदों के 10 मार्गों के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 96,71,51,000/- (रूपये छियानबे करोड़ इकहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 37,87,88,000/- (रूपये सैंतीस करोड़ सत्तासी लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0 व दि0	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग की श्रेणी	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	प्रस्तावित किमी संख्या	लीनियर लम्बाई (कि0मी0 में)	समतुल्य लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5015 सी0/ 27सी0/ नवीनीकरण दिनांक 05.01.2023 एवं पत्र सं0- 7873सी/27सी, दि0 26.03.2023	PD Balia	राज्य मार्ग सं0-107	636723	बांसडीह बलिया घोसी मार्ग का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	54(527), 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78(473)	24.000	48.00	1005.74	251.43
2	3984सी/ नवीनीकरण, दिनांक 02.01.2023 एवं 7286सी, दि0 14.03.2023	CD Balia	SH	630060	सिकन्दरपुर बांसडीह रेवती बैरिया लालगंज मार्ग के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10,16,17,18,20 ,21, 22,24,26,30,31 ,41,42,43,46,4 7,65, 66,67	28.000	56.000	1263.21	315.80
3	5073 सी0, दिनांक 09.01.2023 एवं पत्र सं0- 7873सी/27सी, दि0 26.03.2023	PD Pilibhit	MDR	210136	पीलीभीत पूरनपुर खटीमा मार्ग के कि0मी0 1 से 25 तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	25.000	50.00	931.57	465.78
4	101/पी0जे0-11, दिनांक 04.01.2023 एवं	CD Buland shar	SH	110401	खुर्जा पहासू छतारी मार्ग (राज्य मार्ग	कि0मी0 9.000 से	14.000	-	559.07	279.53

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0 व दि0	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग की श्रेणी	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	प्रस्तावित किमी संख्या	लीनियर लम्बाई (कि0मी0 में)	समतुल्य लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पत्र सं0-7873सी/27सी, दि0 26.03.2023				संख्या-63) के कि0मी0 9.000 से 22.000 तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	22.000				
5	99/पी0जे0-11, दिनांक 04.01.2023 एवं पत्र सं0-7873सी/27सी, दि0 26.03.2023	PD Muzzaffar Nagar	SH	029586	कैराना-खतौली-मोरना मार्ग के कि0मी0 34 से 58(875) तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	कि0मी0 34 से 58(875)	24.875	-	921.52	460.76
6	4034 सी0 दिनांक 03.01.2023 एवं पत्र सं0-7873सी/27सी, दि0 26.03.2023	PD Jhansi	SH	365358	दबोह-पूँछ-गुरसराय-टीकमगढ़ मार्ग पर (एस0एच0-131) सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	49, 50, 51, 60, 63, 64, 67 से 74, 78, 79, 80, 83 से 90	25.000	50.000	735.00	367.50
7	7689सी0/27सी0/नवीनीकरण दिनांक 22.03.2023 एवं पत्र सं0-7873सी/27सी, दि0 26.03.2023	CD-1 Unnao	SH-40	260293	लखनऊ-बांगरमऊ-बिल्हौर मार्ग (राज्य मार्ग सं0- 40 के कि0मी0 37.00 से 84.77 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य।	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56(500), 57(500), 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68(700), 68(300), 69, 70, 71(200), 71(800), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80,81,82,83,84,85(770)	48.770	97.540	1922.41	480.60
8	7689सी0/27सी0/नवीनीकरण दिनांक 22.03.2023 एवं पत्र सं0-7873सी/27सी, दि0 26.03.2023	PD Lucknow	City Road	270095	लखनऊ कानपुर मार्ग के कि0मी0 1, 2, 3, 9 से 12(006) में नवीनीकरण का कार्य।	1, 2, 3, 9 से 12(006)	6.006	48.65	771.73	385.86
9	7478सी/27सी/नवीनीकरण, दिनांक 18.03.2023	PD Lucknow	City Road	270317	लखनऊ कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग एवं हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग (रिंग रोड) 06 लेन के मुख्य मार्ग के किमी0 15 (770), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (407) में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	15 (770), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (407)	8.177	-	951.43	475.71
10	4029 सी0 दिनांक 03.01.2023 एवं पत्र सं0-7873सी/27सी, दि0 26.03.2023	PD Moradabad	SH	46195	धनौरा-अमरोहा-ठाकुरद्वारा मार्ग पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	58(150), 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74(850)	16.000	32.000	609.83	304.91
								कुल योग-	9671.51	3787.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों/स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृति/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(8) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(9) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत न हों व नवीनीकरण के निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये ताकि अगले नवीनीकरण चक्र तक सड़क की स्थिति यातायात हेतु सुगम बनी रहे व शीघ्र क्षतिग्रस्त न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं विभागीय व्यय-वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023, 10.03.2023 एवं 14.03.2023 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

(15) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन क्षेत्रों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है उन क्षेत्रों को छोड़कर नवीनीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने होंगे। आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद सम्पूर्ण क्षेत्रों में नवीनीकरण के कार्य प्राथमिकता पर कराये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 37,87,88,000/- (रूपये सैंतीस करोड़ सत्तासी लाख अठ्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-311/2023/964रासनि(1)/23-1-23/002-44आरएसएन/2023टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in